आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice Department

Self-Employment Assistance to Dependents of Prisoners

केरल का सामाजिक न्याय विभाग पाँच साल या उससे अधिक की सजा काट रहे कैदी के BPL परिवार में पति या पत्नी, या बेरोज़गार अविवाहित बच्चे को स्वरोज़गार के लिए सहायता देता है।

क्या मिल सकता है

पाँच साल या उससे अधिक की सजा काट रहे कैदियों के आश्रितों को स्वरोज़गार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रोबेशन अधिकारी हर आवेदन की जाँच करके प्राथमिकता क्रम दर्ज करते हैं।

किसके लिए है

पाँच साल या उससे अधिक की सजा काट रहे कैदी के BPL परिवार का पति या पत्नी, या बेरोज़गार अविवाहित बेटा या बेटी।

मुख्य शर्तें

- कैदी को 5 साल या उससे अधिक की सजा हुई हो और वह अभी जेल में हो।
- केवल कैदी के पति या पत्नी, या बेरोज़गार अविवाहित बेटा या बेटी आवेदन कर सकते हैं।
- एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पर विचार किया जाता है।
- आवेदक BPL सूची में होना चाहिए।
- जो लोग स्वयं अपराधों में शामिल हैं, उन पर विचार नहीं किया जाता।

दस्तावेज़

- आवेदक जहाँ रहता है वहाँ के वार्ड सदस्य या पार्षद का प्रमाणपत्र
- जेल अधीक्षक का प्रमाणपत्र कि कैदी पाँच साल या उससे अधिक की सजा काट रहा है

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://suneethi.sjd.kerala.gov.in/smartoffice/suneethi_downloads/prob_Dependents.pdf
आधिकारिक आवेदन: https://suneethi.sjd.kerala.gov.in/Citizen_Platform/suneethi/index.php
आधिकारिक PDF: https://suneethi.sjd.kerala.gov.in/smartoffice/suneethi_downloads/prob_Dependents.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/kerala/kl-prisoners-dependents-self-employment/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।